ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 55-57**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

ट्रांसजेंडरः सामाजिक– आर्थिक परिस्थिति एवं संचार माध्यमों की भूमिका

(भारतीय रेल की सहायता से जीवकोपार्जन कर रहे ट्रांसजेंडर्स, बलिया जिले के विशेष संदर्भ में समाजशास्त्रीय अध्ययन)

डॉ0 सुधीर कुमार गुप्ता
असि0 प्रोफेसर–समाजशास्त्र विभाग, श्री सुदृष्टि बाबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय सुदिष्टपुरी, रानीगंज–बलिया (उ0प्र0) भारत

Received-02.01.2025, Revised-09.01.2025, Accepted-15.01.2025 **E-mail :sudheergupta@gmail.com**

सारांशः किसी भी समाज का सर्वांगीण विकास तभी संभव हो सकता है, जब समाज में रहने वाले प्रदेश व्यक्ति को जीने का समान अवसर एवं सम्मान प्राप्त हो। ट्रांसजेंडर भी इसी समाज के महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिन्हें प्राय समाज में ससम्मान समानता के स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाता है। यूं तो भारतीय संविधान एवं सरकार द्वारा इन समाज में सिर उठाकर जीने के लिए सम्मान आवश्यक प्रदान किए गए हैं परंतु हमारे समाज में अभी भी उनके जीवन के प्रत्येक स्तर में भेदभाव का व्यवहार देखने को मिलता है। समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु से ट्रांसजेंडर अछूता नहीं रहा है। सामाजिक एवं आर्थिक संरचना प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तित्व के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। प्रत्येक व्यक्ति मुलतः अपने समाज के सामाजिक– आर्थिक अंतः क्रिया का प्रतिफल है।

कुंजीभूत शब्द– ट्रांसजेंडर, संचार माध्यम, जीवकोपार्जन, ससम्मान समानता, सामाजिक एवं आर्थिक संरचना, सर्वांगीण

प्रस्तुत अध्ययन में ट्रांसजेंडर्स के सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। ट्रांसजेंडर दो शब्दों से मिलकर बना हैः ट्रांस और जेंडर, ट्रांस का अर्थ पार या परे अर्थात दूसरी अवस्था में और जेंडर का अर्थ लिंग होता है। इस प्रकार ट्रांसजेंडर का शाब्दिक अर्थ दूसरी अवस्था में लिंग से है। उदाहरणतः यदि कोई जन्म के समय स्त्री हो परंतु वह अपने अंदर खुद को पुरुष के रूप में महसूस अथवा देखती हो तो ऐसे व्यक्ति को परलैंगिक पुरुष (ट्रांसमैन) कहा जाएगा। इसी तरह यदि कोई जन्म के समय जैविक बनावट के आधार पर पुरुष हो लेकिन वह अपने आप को स्त्री के रूप में महसूस अथवा देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को परलैंगिक महिला (ट्रांस वूमेन) कहा जाएगा।

भारतीय उपमहाद्वीप में इन्हें किन्नर अथवा हिजड़ा कहा जाता है, परंतु उन्हें देश में आधिकारिक तौर पर तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त है। व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 की धारा 2(1) में ट्रांसजेंडर को परिभाषित किया गया है "ना तो पूरी महिला और न ही पूरा पुरुष, महिला और पुरुष का संयोजन।" ट्रांसजेंडर एक स्थित है जिसमें किसी व्यक्ति के लिंग की पहचान उसकी शारीरिक विशेषताओं से मिल नहीं खाती है। ट्रांसजेंडर मुख्यतरू दो श्रेणियां में आते हैं। पहला वे जो पुरुष के रूप में पैदा होते हैं और महिला के रूप में रहते हैं और दूसरे वे जो स्त्री के रूप में जन्म लेते हैं और पुरुष के रूप में रहते हैं।

जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में 487803 लोगों को तीसरे लिंग के रूप में पहचान किया गया है जिसमें 0–6 वर्ष के ट्रांसजेंडर बच्चे 54854 है, 78811 अनुसूचित जाति और 33293 अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर की संख्या 137465 हैं, जिसमें 0–6 वर्ष के 18734, अनुसूचित जाति 26404 एवं अनुसूचित जनजाति 639 तथा उत्तर प्रदेश में इनकी साक्षरता दर 55.80 है।

साहित्य पुनरावलोकन– देवी और दास (2014) ने 'ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर अनइवन वॉइस लीगल एंड सोशल कंसर्न ऑफ़ द थर्ड जेंडर' का अध्ययन किया और बताया कि ज्यादातर सोशल मीडिया ऐप जैसे फ़ेसबुक, ट्विटर और अन्य इसके ऐप लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते चाहे वह पुरुष हो अथवा स्त्री। यहां पर ट्रांसजेंडर के लिए भी विकल्प उपलब्ध है कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी समस्याओं और अपनी बातों को रख सकती हैं। यह प्लेटफॉर्म उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक एवं सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

चंद्रमणि (2010) ने भारत में (ट्रांसजेंडर महिला) हिजड़ो के मानवाधिकार एवं उनके साथ होने वाले भेदभाव पर अध्ययन करते हुए बताया कि युवा ट्रांसजेंडर अपने परिवार से बहुत अलग–थलग महसूस करते हैं, क्योंकि वे बचपन से ही कई प्रकार के सामाजिक यातना एवं भेदभाव सहते रहते हैं। समाज में उनके साथ यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ प्रायः देखने को मिलता है, जिसके कारण कई ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर के रूप में अपने आप को संलग्न कर लेते हैं। वित्तीय सहायता की कमी के कारण उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं।

अग्रवाल (2015) ने 'ट्रांसजेंडर राइट्स इन इंडिया' में शोध करते हुए उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया है कि ट्रांसजेंडर के सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर के मानवाधिकार को दबाया जा रहा है। आम लोगों की तुलना में उनको बराबर अवसर न मिलने के कारण उनके अंदर स्कूल में दाखिला लेने एवं रोजगार खोजने में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, जिसके करण ना चाहते हुए भी भीख मांगने अथवा सेक्स वर्कर के रूप में कार्य करने को विवस हो जाते हैं।

माल एवं दास (2018) हिजड़ा समुदाय के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर अध्ययन किया और बताया कि हिजड़े लोग मोटापे, दुबलेपन और अधिक वजन जैसी समस्याओं से परेशान है, ये एनाबॉलिक स्टेरॉयड और कई अन्य तरह के सप्लीमेंट दवाई लेते हैं, जिसके कारण उक्त रक्तचाप, अवसाद एवं तनाव जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं। बाहर के खाने, फास्ट फूड एवं शराब का सेवन करने के कारण कई तरह के स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित है।

मृणालिनी (2013) ने ट्रांसजेंडर के सशक्तिकरण से संबंधित कल्याण कार्यक्रमों का अध्ययन किया और बताया कि ट्रांसजेंडर महत्वाकांक्षी होते हैं, वे पढ़ लिखकर नौकरी करना चाहते हैं, वे सरकारी सेवा में भी आना चाहते हैं। स्कूल में उनके साथ भेदभाव होने कारण वे पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। परिवार में भी उनके साथ सामान्य लोगों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता है।

अध्ययन के उद्देश्य–

1. ट्रांसजेंडर के सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. ट्रांसजेंडर के आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
3. ट्रांसिटिव सासर करने वाले कर्म का अध्ययन करना।

उपकल्पना–

1. ट्रांसजेंडर के सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

2. ट्रांसजेंडर की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
3. संचार के विभिन्न माध्यमों ने ट्रांसजेंडर को सशक्त किया है।

शोध प्रविधि– किसी भी अनुसंधान में अध्ययन करने से पहले शोध क्षेत्र का निर्धारण अति आवश्यक है। प्रस्तुत शोध पत्र शीर्षक ट्रांसजेंडरः सामाजिक– आर्थिक परिस्थिति एवं संचार माध्यमों की भूमिका (भारतीय रेल की सहायता से जीवकोपार्जन कर रहे ट्रांसजेंडर्स, बलिया जिले की विशेष संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन) में अध्ययन क्षेत्र के रूप में बलिया जिले में भारतीय रेल की सहायता से जीवकोपार्जन कर रहे ट्रांसजेंडर का चुनाव किया गया है।

उत्तरदाताओं के चुनाव के लिए उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति का प्रयोग करते हुए चार ट्रांसजेंडर का चुनाव किया गया है एवं उनका वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की सहायता से अध्ययन किया गया है।

प्रस्तुत शोध पत्र में तथ्य संकलन प्राथमिकता एवं द्वितीय स्रोतों के माध्यम से किया गया है। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत वैयक्तिक अध्ययन पद्धति तथा द्वितीय स्रोत के अंतर्गत विभिन्न सूचनाओं व आंकड़ों, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, भारतीय जनगणना रिपोर्ट 2011, वेबसाइट इत्यादि का उपयोग किया गया।

सीमा– बेगूसराय के निवासी सीमा बलिया से गाजीपुर तक यात्रा करती है। वह कहती है कि सभी किन्नरों का क्षेत्र निर्धारित होता है, सबका काम निश्चित है, जैसे जो लोग ट्रेन में मांगते हैं, वह किसी के घर शुभ अवसर पर नहीं जाते हैं और जो वहां जाते हैं वह ट्रेन में नहीं मांगते हैं। हमारी बहुत इच्छा होती है कि हमें अन्य भी काम दे, परंतु हमें कोई दूसरा काम नहीं देता क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, तो मोटा काम ही कर सकते हैं। समाज में जैसा कि मेरे गुरु बताते हैं, हम लोगों के समूह को उतनी अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, परंतु आज समाज में बहुत बदलाव आया है, लोग अब हमारे साथ उतने खराब तरीके से पेश नहीं आते हैं। अब लोग हमारी परिस्थितियों को समझ रहे हैं। हम लोग भी घर जाते हैं, अपने माता–पिता से अक्सर वीडियो कॉल पर बात करते हैं। जैसे आम लोग सुबह उठकर काम/नौकरी पर जाते हैं, वैसे हम लोग भी सुबह–सुबह उठकर ट्रेन में चले जाते हैं।

मुस्कान– मैं बंगाल की रहने वाली हूँ, मैंने पांचवी तक पढ़ाई की है, उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मेरे मम्मी पापा को जब यह जानकारी हुई कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूं तब वह लोग मुझे बहुत मारे। वह लोग मुझे अक्सर मारते–पीटते थे। मेरे दो बड़े भाई और एक छोटी बहन है। मैंने पन्द्रह साल की अवस्था में घर छोड़ दिया था और अपने गुरु के पास चली गई थी, मेरा इलाका छपरा से बलिया तक का है। मैं ट्रेन से छपरा से बलिया आती हूं, यही अपने सहेलियों के यहां खाना खा कर फिर ट्रेन में मांगने चली जाती हूं। मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन किन्नर लोग शादी करते हैं। मैं अपनी मम्मी से कभी–कभी बात करती हूं, पापा से बात नहीं करती पर उनके दवा के लिए पैसे भिजवाती हूं, मैं अपने घर नहीं जाती।

सुरेखा– मैं पूर्णिया जिले की हूं, मेरे तीन बहन एक भाई हैं, मैंने सातवीं तक पढ़ाई की है। मैं बाद में घर छोड़कर भाग आई। मैं पहले बिहार में ट्रेन में मांगती थी, लेकिन अब मैं सुरेमनपुर में किराए के मकान में रहती हूं, मैं छपरा से बलिया तक ट्रेन में मांगती हूं। मेरे साथ एक हादसा हो गया था, एक दिन मैं ट्रेन में मांग रही थी, तभी एक यात्री से कहा–सुनी हो गई, जो मुझे पत्थर से सर पर मारकर भाग गया था, जिससे मुझे गंभीर चोट आई थी। लोग आसानी से पैसा नहीं देते कभी हम लोगों की कमाई अच्छी होती है तो कभी–कभी उतनी अच्छी नहीं होती है, पर हम लोगों का गुजारा चल जाता है। हम सभी किन्नरो में काफी एकता होती है। हम किन्नर आपस में कम ही झगड़ा करते हैं।

सपना– मैं बंगाल की हूं। मैं ट्रेन में पन्द्रह साल से मांग रही हूं। हम लोगों को कभी–कभी ट्रेन में छेड़खानी का सामना करना पड़ता है, कभी–कभी लोग प्यार से दे देते हैं, लेकिन कभी–कभी जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है, जिससे झगड़ा भी हो जाता है। क्योंकि हम लोगों को कोई काम नहीं देता और इस प्रकार ट्रेन पर मांग कर हम अपना गुजारा करते हैं, इसलिए हम लोगों को अक्सर यात्रियों से झगड़ा झंझट भी करना पड़ता है। सपना करती है कि हम लोग भी इंसान है, हमारा भी दिल है, हम लोग भी इज्जत के हकदार हैं, हमें बेज्जती का सामना करना पड़ता है, हमें प्रायः गालियां भी दी जाती है, बचपन से ही हम ऐसा देखते एवं झेलते जा रहे हैं। सपना का यह कहते–कहते गला भी भारी हो गया और उन्होंने कहा कि भगवान कभी किसी को किन्नर न बनाएं। हमें कोई अच्छी जगह पर मकान भी किराए पर नहीं देना चाहता।

निष्कर्ष– ट्रांसजेंडर समाज के एक अभिन्न अंग हैं, इनको भी समाज में सर उठाकर जीने का अधिकार है। अप्रैल 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इनको कानूनी रूप से तीसरा लिंग घोषित किया है। ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए सरकार ने ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण बिल 2019 पारित किया, जिसके तहत उनको विभिन्न अधिकार प्रदान किए गए हैं– शिक्षण संस्थान (सरकारी तथा गैर सरकारी) में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको वहां पढ़ने का, खेल में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है। नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट उनको सभी जगह नौकरी करने का एवं नौकरी मिलने में वाले प्रमोशन का भी बराबर अधिकार है। मेडिकल की सारी सुविधाएं इनके लिए उपलब्ध है, इनके लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम का प्रावधान है। निवास का अधिकार– उनको अपने परिवार के साथ–साथ ससम्मान रहने का पूरा अधिकार है, उनके लिंग के आधार पर कोई भी मकान मालिक किराए पर मकान देने से मन नहीं कर सकता। ट्रांसजेंडर का नाम से प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है। यह पब्लिक प्राइवेट ऑफिस खोल सकती है। इनको आंदोलन करने का अधिकार है। इस बिल के अनुसार ट्रांसजेंडर के खिलाफ यह सारे अपराध करने वालों को छरू महीने से दो साल तक की सजा है, साथ ही जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा इनके अस्तित्व की रक्षा के लिए सरकार ने इनको कई और अधिकार दिए हैं। भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर के कल्याण के लिए कल्याणकारी नीतियों एवं योजनाएं शुरू किया है जो एक बड़ा कदम है इनमें जनगणना, दस्तावेजीकरण, नागरिकता पहचान पत्र जारी करना, पुलिस सुरक्षा, ट्रांसजेंडर के मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए कानूनी एवं संवैधानिक सुरक्षा इत्यादि।

इसके अलावा संचार के विभिन्न माध्यमों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, क्योंकि आज संचार माध्यमों के कारण लोग अब जागरुक हो रहे हैं, आम लोग भी ट्रांसजेंडर की समस्याओं से परिचित हो रहे हैं, समाज के नजरिए में बदलाव देखने को मिल रहा है, ट्रांसजेंडर भी अपने समस्याओं को सोशल मीडिया के माध्यम से रख रही हैं। आज संचार के विभिन्न माध्यमों ने ट्रांसजेंडर को एक वैश्विक मंच प्रदान किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. दोषी, सी. (2017) इंडियन ट्रेन नेटवर्क मेक्स हिस्ट्री वाई एम्पलाइंग ट्रांसडेंजर वर्कर, द गार्जियन।
2. अग्रवाल, ए. (1997) जेंडर वोटिंगरू द केस आफ थर्ड जेंडर इन इंडिया, कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजिकल।

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

3. बब्बर, एस. के. (2006) सोशियोलीगल एक्सप्लोइटेशन ऑफ़ द थर्ड जेंडर।
4. बसु, के. (2001) सम सोशल एंड लीगल डिफिकल्टी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांस सेक्सुअल इन इंडिया।
5. श्रीनिवास, एम. एम. (1972) सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया (इंडियन एडिशन), ओरिएंट लार्गमैन, नई दिल्ली।
6. के. स्वाति (2018) महिला सशक्तिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी भूमिका।
7. दुबे, एस. सी. (2005) भारतीय समाज, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया।
8. सुब्रमण्यम, काली (2022) वी आर नॉट द अदर्स, नोशन प्रेस, चेन्नई।
9. रेवती, ए. (2010) द ट्रुथ अबाउट मी, पेंगुइन, इंडिया।
10. पाण्डेय, जे. मुखर्जी (2017) ए गिफ्ट ऑफ़ गॉडेस लक्ष्मी, पेंगुइन रेंडम हाउस, इंडिया।

*****